यह निरीक्षण प्रतिवेदन बाल विकास परियोजना अधिकारी, विकासनगर, देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, विकासनगर, देहरादून के माह 04/2015 से 07/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री वजय कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक, श्री शूरवीर संह राणा, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी, श्री र व शंकर, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी द्वारा दिनांक 03.08.2017 से 08.08.2017 तक श्री एस.के. जौहरी लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

## भाग-I

1. परिचयात्मकः यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।

   वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2015 से 07/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

2. **(i)** इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः वकासनगर, नंदा देवी कन्याधन योजना, वृद्ध महिला पोषण योजना, THR/Cooked food

   **(ii)** (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रू. लाख में)

| वर्ष | प्रारम्भिक अवशेष | | स्थापना | | गैर स्थापना | | आधिक्य (+) ` | बचत (-) ` |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्थापना ` | गैर स्थापना ` | आवंटन ` | व्यय ` | आवंटन ` | व्यय ` | | |
| 2015-16 | 0 | 0 | 348.54 | 325.43 | 356.40 | 352.05 | - | 27.46 |
| 2016-17 | 0 | 0 | 386.76 | 366.23 | 396.92 | 387.67 | - | 29.78 |
| 2017/जून | 0 | 0 | 128.07 | 84.67 | 114.46 | 59.29 | - | 98.55 |

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

| वर्ष | योजना का नाम | प्रा. अवशेष ` | आवंटन | व्यय ` | अधिक्य (+) | बचत/सम्पूर्ण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | 0102- समन्वित बाल वकास योजना | 0 | 20346000 | 19245841 | 0 | 1100159 |
| | 0110- अनुश्रवण एवं मूल्यांकन | 0 | 65000 | 63420 | 0 | 1580 |
| | 0114- सूचना शक्षा, संचार, प्रचार | 0 | 17000 | 5000 | 0 | 12000 |
| | 0128- परीवीक्षा सेवा मुख्यालय | 0 | 348000 | 337481 | 0 | 10519 |
| | 0400- समन्वित बाल वकास योजनाएं जनजातीय | 0 | 1800000 | 1777546 | 0 | 22454 |
| | 0203- समन्वित बाल वकास योजना अनुसू चत जाति | 0 | 710000 | 680814 | 0 | 29186 |
| 2015-16 | 0102- समन्वित बाल वकास योजना | 0 | 23717000 | 22074304 | 0 | 1642696 |
| | 0110- अनुश्रवण एवं मूल्यांकन | 0 | 78000 | 76003 | 0 | 1997 |
| | 0114- सूचना शक्षा, संचार, प्रचार | 0 | 15000 | 4998 | 0 | 10002 |
| | 0400- समन्वित बाल वकास योजनाएं जनजातीय | 0 | 1820000 | 1795275 | 0 | 24725 |
| | 0203- समन्वित बाल वकास योजना अनुसू चत जाति | 0 | 706000 | 681164 | 0 | 24836 |
| 2017-18 माह जुलाई 2017 तक का व्यय ववरण | 0102- समन्वित बाल वकास योजना | 0 | 16552900 | 10969744 | 0 | 5583156 |
| | 60102- पुष्टार कार्यक्रम के अंतर्गत दिये जाने वाला पोषाहार (आई.सी.डी.एस. योजना) जनजातिय | 0 | 3110000 | 442055 | 0 | 2667945 |
| | 0101- समन्वित बाल वकास योजना अनुसू चत जाति | 0 | 1070000 | 279290 | 0 | 790710 |

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार एवं केन्द्र द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई (सी) श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. स चव 2. निदेशक 3. डी.पी.ओ. 4. सी.डी.पी.ओ.

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में बाल विकास परियोजना अधिकारी, विकासनगर, देहरादून एवं लेखापरीक्षा व ध लेनदेन की लेखापरीक्षा को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन बाल विकास परियोजना अधिकारी, विकासनगर, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारितहै। माह 03/2017 एवं 03/2016 को वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया। नंदा देवी कन्या योजना, वृद्ध महिला पोषण योजना, THR/cooked food का वस्तृत वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन लागत एवं व्यय रा श तथा कार्य की वास्त वक स्थिति को ध्यान में रखकर चयन कया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 18 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1- वर्ष 2015-16 में रू. 348.62 लाख तथा वर्ष 2016-17 में रू. 400.95 लाख की धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के पत्रांकः 460/XVII(4)/2016-129/06TC, दिनांक 10.02.2016 तथा आई.सी.डी.एस. निदेशालय देहरादून के पत्रांकः C-29/रिपोर्ट/14/2017-18, दिनांक 05.04.2017 द्वारा मुख्यमंत्री वृद्ध महिला पोषण योजना के उपभोग प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराने हेतु निर्दे शत कया गया था।

मुख्यमंत्री वृद्ध महिला पोषण योजना के क्रयान्वयन हेतु आंगनबाड़ी केन्द्रों की माता स मतियों को हस्तांतरित धनरा श के व्यय होने के पश्चात संबं धत मुख्य से वका द्वारा उसका उपभोग प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में बाल वकास परियोजना अ धकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना चाहिए तथा प्रस्तुत उपभोग प्रमाण पत्र के आंकड़ों को संक लत करते हुए बाल वकास परियोजन अ धकारी कार्यालय से जिला कार्यक्रम अ धकारी कार्यालय को प्रे षत कया जाना चाहिए।

बाल वकास परियोजना अ धकारी, वकास नगर के अ भलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया क मुख्यमंत्री वृद्ध महिला पोषण योजना के क्रयान्वयन हेतु इकाई को वर्ष 2015-16 में रू. 45,90,000.00 तथा वर्ष 2016-17 में रू. 1,35,80,050.00 की धनरा श आवंटित हुई थी जिसमें से इकाई द्वारा वर्ष 2016-17 में रू. 8,30,450.00 का समर्पण कया गया था। इकाई द्वारा अवशेष धनरा शयाँ (वर्ष 2015-16 में रू. 45,90,000.00 तथा वर्ष 2016-17 में रू. 1,27,49,600.00) आंगनबाड़ी केन्द्रों की माता स मतियों के खातों में हस्तांतरित की गई थी जिसके उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त कए जाने अपे क्षत थे परंतु इकाई द्वारा उपभोग प्रमाणपत्र लेखापरीक्षा ति थ तक प्राप्त नहीं कए गए थे।

इसके अतिरिक्त इकाई द्वारा अनुपूरक पोषण (THR/Cooked food) के अंतर्गत वर्ष 2015-16 में रू. 306.80 लाख तथा वर्ष 2016-17 में रू. 273.75 लाख की धनरा श आवंटित हुई थी जिसके सापेक्ष इकाई द्वारा वर्ष 2015-16 में रू. 302.72 लाख तथा वर्ष 2016-17 में रू. 273.46 लाख का व्यय कया गया था तथा अवशेष धनरा श सम पंत की गई थी। व्यय की गई धनरा श के उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त कए जाने अपे क्षत थे परंतु इकाई द्वारा उपभोग प्रमाण पत्र लेखापरीक्षा ति थ तक प्राप्त नहीं कए गए थे।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत करने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया क मुख्य से वका स्तर से उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त कए जाने के संबंध में निर्देश जारी कए जा रहे है तथा अनुपालन सुनिश्चित कया जाएगा।

इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखापरीक्षा आप त्त की पुष्टि करता है। अतः वर्ष 2015-16 में रू. 348.62 लाख तथा वर्ष 2016-17 में रू. 400.95 लाख की धनरा श के उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त न करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-2- ब्याज प्राप्ति रू. 6,05,734/- की धनराशि राजकोष में जमा न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के  वत्त  वभाग के शासनादेश संख्याः U.O.18/XXVII(6)-टी.सी.ए. 934-2014, दिनांक 21.04.2017 तथा महिला सशक्तिकरण एवं बाल  वकास अनुभाग के आदेश संख्याः 610/XVII(4)/2017-2(8)2017, दिनांक 26.04.2017 के अनुसार प्रशासनिक  वभागों द्वारा परियोजनाओं हेतु धनरा श बैंक खाते में रखकर ब्याज अर्जित  कया जाता है और उक्त ब्याज की धनरा श को राजकोष में जमा न करते हुए प्रयोग में  लया जा रहा है। यह एक घोर  वत्तीय अनियम मतता है तथा निर्दे शत  कया है  क जितने भी बैंक खाते है उनमें अर्जित ब्याज की पुष्टि करते हुए तत्काल उक्त धनरा श राज्य सरकार के सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा कराया जाए।

बाल  वकास परियोजना अ धकारी,  वकासनगर के अ भलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया  क इकाई द्वारा पदनाम बैंक खातों में अप्रैल 2015 से जून 2017 तक कुल रू. 6,05,734/- का ब्याज अर्जित  कया गया था जिसे उक्त शासनादेशों के अनुपालन में राजकोष में जमा  कया जाना अपे क्षत था परंतु इकाई द्वारा लेखापरीक्षा ति थ (अगस्त 2017) तक उक्त ब्याज की धनरा श राजकोष में जमा नहीं की थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत करने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया  क नियमों की जानकारी के अभाव में उक्त धनरा श जमा नहीं की गई थी जिसे शीघ्र उ चत लेखाशीर्ष में जमा करा दी जाएगी।

इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखापरीक्षा आप त की पुष्टि करता है। अतः रू. 6,05,734/- की ब्याज की धनरा श राजकोष में जमा न करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या | भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या |
|---|---|---|
| यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है। | | |

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण | अनुपालन आख्या | लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है। | | | | |

## भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

------------शून्य------------------

## भाग-V

## आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु बाल विकास परियोजना अधिकारी, विकासनगर, देहरादून तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः
   (i) शून्य
2. सतत् अनियमितताएः
   (i) शून्य
3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

| क्रम सं0 | नाम | पदनाम | अवधि |
|---|---|---|---|
| (i) | श्री एस.के. संह | सी.डी.पी.ओ. | 12/2015 वर्तमान तक |

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति बाल विकास परियोजना अधिकारी, विकासनगर, देहरादून को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) कार्यालय महालेखाकार लेखापरीक्षा L-216 द् वतीय तल महालेखाकार भवन निकट होटल मैनेजमेंट इन्स्टीटयूट, कौलागढ़ देहरादून को प्रे षत कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र